मुण्डावर (खै...

13/5/26

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। प्रार्थी का प्रा० पत्र को स्वीकार किया जाता है कि विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली का नतीजा सुमार को नम्बर से कम कर पत्रावली जिला रेकर्ड आगार में शामिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
77 / 2022	06.12.2022	13.05.2026

बउनवान

1. ओमपाल
2. जलेसिंह पुत्रान श्री सुलतान जातियान अहीर निवासीयान खोहरी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रार्थी

बनाम

1. कमला देवी पत्नी गरीबदास
2. रेवती देवी पत्नी बनवारीलाल
3. शारदा देवी पत्नी रामपत
4. नरेश कुमार पुत्र श्री भगवान
5. यादराम पुत्र श्री गंगासहाय
6. राजेन्द्र पुत्र श्री भगवान जातियान मेघवाल निवासीयान खोहरी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. संतरा देवी पत्नी रामावतार
8. कृष्ण पुत्र श्री रामावतार
9. रवि कुमार पुत्र रामावतार
10. पूजा पत्नी देवेन्द्र पुत्र रामावतार जातियान मेघवाल निवासीयान खोहरी तहसील मुण्डावर हाल आबाद आर जेड 98 न्यू हीरा पार्क नजबगढ नई दिल्ली।
11. सुरता पत्नी हजारी जाति मेघवाल निवासी खोहरी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
12. ब्रह्मा देवी पत्नी फुलचन्द पुत्री सुलतान निवासी गादली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
13. उमेश
14. नवीन पुत्रान श्री सुलतान
15. मैना पत्नी सुलतान जातियान मेघवाल निवासीयान खोहरी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
16. अजीत पुत्र श्री रघुवीर जाति अहीर निवासी खोहरी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
17. ऋषिदेव पुत्र श्री पकंज
18. पूनम देवी पत्नी पकंज
19. राकेश पुत्र श्री रामानन्द
20. शमशेरसिंह पुत्र श्री रघुवीर
21. हवासिंह पुत्र श्री रघुवीर
22. हंसराज पुत्र श्री सुलतान
23. दिनेश

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

24. अतेन्द्र पुत्रान श्री सुजान
25. बिमला पत्नी सुजान जातियान अहीर निवासीयान खोहरी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
26. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णयः—

दिनांक :— 13.05.2026

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :—

1. यह है कि विवादित आराजी खाता नं0 438 में दर्ज ख० नं0 17/0.33 हैक0, 116/0.99 हैक०, एवं खाता सं० 159 में दर्ज ख० नं० 129/0.66 हैक०, वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिस आराजी में रास्ता विवादित माना गया है।
2. यह है कि आराजी ख० नं0 17/0.33 हैक0, 116/0.99 है0, में मिन प्रार्थीगण का 2/32 भाग कब्जे काश्त खातेदारी का है तथा मिन प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।
3. यह है कि आराजी ख० नं0 129, 17, 116 आपस में लगती हुयी आराजी है तथा मिन प्रार्थीगण अपनी आराजी ख० नं0 17 व 116 में आने जाने व कृषि यंत्रों को लाने ले जाने हेतू ख० नं0 129 से डोल के सहारे से आवागमन कर रहे है जिस रास्ते का मिन प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की सहमति से उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक करते आ रहे है लेकिन अब अप्रार्थीगण रास्ते को बंद करने व रास्ते की भूमि पर निर्माण कर रास्ता अवरूद्ध करने पर उतारू है।
4. यह है कि आराजी ख० नं० 129 से लगता हुआ आम रास्ता भी स्थित है और इसी रास्ते से होती हुयी डोल जो 129 से 17, 116 तक रास्ते में काम में आ रही है इस रास्ते के अलावा मिन प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आवागमन हेतू व अपने कृषि यंत्रो को लाने ले जाने हेतू विकल्प में अन्य कोई रास्ता भी नहीं है।
5. यह है कि नक्शा ट्रेश में भी आम रास्ता से लगता हुआ खेत 129 व उसके बाद ख० नं0 17, 116 स्थित है और इन दोनो खेतो से होती हुयी डोल स्थित है जिस रास्ते से मिन प्रार्थीगण आवागमन करते है लेकिन अब अप्रार्थीगण रंजिश के कारण मिन प्रार्थीगण का रास्ता बंद करने पर उतारू हो रहे है तथा उक्त डोल के रास्ते में छडे आदि लगा देते है जिससे मिन प्रार्थीगण का आराजी में काश्त कार्य करने जाने हेतू रास्ता अवरोध होने के कारण काफी परेशानी उठानी पडती है।
6. यह है कि मिन प्रार्थीगण अब आराजी ख० नं0 129 से 17 व 116 तक कानूनन 15 फुट चौडा रास्ता प्राप्त करना चाहते है जिससे मिन प्रार्थीगण अपनी आराजी में सही प्रकार से आवागमन कर सके व आराजी को

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

काश्त करने हेतू कृषि यंत्र टैक्टर आदि का आवागमन किया जा सके रास्ते में अप्रार्थीगण की आने वाली भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण नियमानुसार अदा करने को तैयार है।

7. यह है कि अप्रार्थीगण झगडालू व लडाका प्रवृति के लोग है जो आये दिन रास्ते को लेकर मिन प्रार्थीगण से झगडा फिसाद करते रहते है दिनांक 09/11/2022 को मिन प्रार्थीगण अपनी आराजी में काश्त करने हेतू उक्त स्थित डोल से होते हुये ख० नं० 129 से निकल कर 17 व 116 में जा रहे थे तभी अप्रार्थीगण ने मिन प्रार्थीगण का रास्ता अवरोध कर दिया व धमकी दी की हम तुम्हे इस डोल के रास्ते से आवागमन नहीं करने देगें अप्रार्थीगण को काफी समझाया विकल्प में मिन प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता ख० नं0 17 व 116 में आने जाने का भी नहीं है यदि अप्रार्थीगण ने मिन प्रार्थीगण का रास्ता रोक दिया तो मिन प्रार्थीगण की फसल बरबाद हो जायेगी तथा कृषि यंत्र लाने ले जाने में काफी परेशानी होगी इसलिये मिन प्रार्थीगण कानूनन 15 फुट चौडा रास्ता स्थापित कराने के अधिकारी है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि आराजी ख० नं० 129 में से ख० नं0 17, 116 वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर तक प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आवागमन व कृषि यंत्रों को लाने ले जाने हेतू 15 फुट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी में से होता हुआ कायम कराया जावे तथा उक्त आराजी जो ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर में आम रास्ता से लगती हुयी आराजी ख० नं0 129 की डोल पूर्वी या पश्चिमी से लगता हुआ सुविधानुसार ख० नं0 17 व 116 तक का रास्ता 15 फुट चौडा कायम कराया जाने के आदेश फरमाये जावे। एवं राजस्व रिकोर्ड में अमल कराये जाने के आदेश फरमाये जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी। शेष जुज वक्त बहस अर्ज किये जायेगें।

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 77/2022 पर दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रणवीर सिंह यादव उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3, 07 लगायत 11, 13 लगायत 15 की ओर से श्री जगन्नाथ यादव वकील ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण की ओर प्रस्तुत जबाव निम्न प्रकार से है कि –

जवाब प्रार्थना पत्र हम अपार्थीगण की ओर से निम्न प्रकार पेश है।

यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 1 इतना स्वीकार है कि आराजी खाता नं० 438 में दर्ज ख० नं0 17/0.03 है0, 116/0.99 है0, वं खाता नं0 159 में दर्ज ख० नं0 129/0.66 है0, वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। बाकी जिम्मन गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजी में कोई रास्ता विवादित

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

नहीं है बल्कि उक्त आराजी ख० नं0 17, 19, 116 में जाने के लिये आराजी ख० नं0 132 में से रास्ता है जो रास्ता आम रास्ते से आराजी ख० नं0 17, 19, 116 में से जाता है तथा आगे खसरा न. 17 व 19, से पगडंडी (डॉल) से ग्राम भुनगडा में निकलता है। एवं आराजी ख० नं0 19 में काफी हिस्सेदारों ने अपने मकान बना रखे है तथा आराजी ख० नं0 17, 19, 116 में काश्त करने के लिये काश्तकार जुताई बुवाई व अन्य कार्यो के लिये आराजी ख० नं0 132 से जो रास्ता जाता है उसी का उपयोग उपभोग करते है।

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 2 सही है स्वीकार है। जिम्मन नं० 2 में अंकित आराजी में सभी पक्षकार सहकाश्तकार है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 3 गलत है स्वीकार नहीं है। सम्पूर्ण पैरा गलत है। आराजी ख० नं0 129 आराजी ख० नं0 17, 116 से आपस में लगती हुयी है परन्तू आराजी ख० नं0 17, 116 से लगती हुयी आराजी ख० नं0 132 है। एवं आराजी ख० नं0 132 में मौके पर रास्ता है जो आम रास्ते से आराजी ख० नं0 17, 19, 116 में जाता है तथा आराजी ख० नं0 129 में अपार्थीगण ने काश्त के लिये बोरिंग की हुयी है तथा प्रार्थी ने कभी भी आराजी ख० नं0 17, 116, में जाने के लिये व कृषि यंत्रों को ले जाने के लिये आराजी ख० नं0 129 का उपयोग में नहीं लिया ना ही अपार्थीगण ने उक्त बावत सहमति दी बल्कि प्रार्थीगण ने व अन्य काश्तकारों ने आराजी ख० नं0 17, 19, 116 में आने जाने के लिये व कृषि यंत्र ले जाने के लिये ख० नं0 132 में से जो रास्ता अपार्थीगणों द्वारा छोडा गया है उसका उपयोग करते है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 4 इतना स्वीकार है कि आराजी ख० नं० 17 से आराजी ख० नं0 129 लगता हुआ है बाकी जिम्मन गलत है। आराजी ख० नं0 129 से लगता हुआ आराजी ख० नं0 132, 131 भी है जिसका मिन प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र में जिक तक नहीं किया तथा आराजी ख० नं0 129 से ख० नं0 116 लगता हुआ नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 5 इतना स्वीकार है कि आराजी ख० नं0 129 आम रास्ते से लगता हुआ है बाकी जिम्मन गलत है स्वीकार नहीं है। आम रास्ते से लगते हुये ख० नं0 132 व 131 भी है तथा आराजी ख० नं0 129 से लगता हुआ ख० नं0 116 नहीं है आराजी ख० नं0 129 से कभी भी पार्थीगणों ने रास्ते के रूप में आवागमन नहीं किया वल्कि प्रार्थीगण व अन्य काश्तकार अपनी आराजी ख० नं0 17, 19, 116 में जाने के लिये ख० नं0 132 में से जाते है। ख० नं0 132 अपार्थीगण की खातेदारी का है। प्रार्थीगणों का गांव में दवदवा व दादागिरी होने के कारण जबरन अपार्थीगण की आरात्री ख० नं0 129 में से रास्ता लेना चाहते है।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 6 गलत है स्वीकार नहीं है। पार्थीगण आराजी ख० नं0 129 में से कानूनन रास्ता तब ले सकते है जब पार्थीगण के पास अन्य और विकल्प नहीं हो जबकि प्रार्थीगणो के पास व अन्य काश्तकारों के पास अपनी आराजी ख० नं0 17, 19, 116 में

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

जाने व कृषि यंत्र ले जाने के लिये रास्ते का विकल्प आराजी ख० नं0 132 में से है तथा मौके पर ख० नं0 132 में रास्ते से प्रार्थीगण व अन्य काश्तकार अपनी आराजी ख० नं0 17, 19, 116 में आवागमन कर रहे है। अगर आराजी ख० नं0 132 में से रास्ता कायम किया जाता है तो मिन अप्रार्थीगणों को उक्त रास्ते के बदले की जमीन दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 7 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 09/11/2022 की कहानी झूठी व मनघंडत लिखायी है प्रार्थीगणो का ख० नं0 129 में से कभी भी ख० नं0 17, 19, 116 में आने जाने के लिये आवागमन ही नहीं रहा तो झगडा होना तो दूर रहा झगडे की सम्भावना भी नहीं है तथा अपार्थीगणो में ज्यादातर पक्षकार वृद्ध औरते है व मजदूरी पेशा है जो झगडा कर ही नहीं सकती बल्कि प्रार्थीगण मुठ मर्द व्यक्ति है तथा लठ के बल पर जबरदस्ती ख० नं0 129 में से रास्ता लेना चाहते है।
7. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 8 गलत है स्वीकार नहीं है।
8. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं० 9 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण ने दिनांक 09/11/2022 की कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है। दिनांक 09/11/2022 को कोई घटना घटित नहीं हुयी इसलिये प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है जो काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ख० नं० 129 में से आराजी ख० नं0 17, 19, 116 में जाने के लिये रास्ता मौके पर ख० नं0 132 से जारी है ख० नं0 129 में हम अपार्थीगण की बोरिंग भी है। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी ख० नं0 17, 19, 116 में आने जाने का रास्ता ख० नं0 132 में से है तथा इसके अलावा अन्य काश्तकारों ने अपने ख० नं0 19 में रिहायस बना रखी है जो भी ख० नं0 132 से आते जाते है। जब प्रार्थीगण के आने जाने हेतू मौके पर रास्ता ख० नं0 132 से जारी है जो भी हम अपार्थीगण के ही नाम है प्रार्थीगण के ख० नं0 17 तक मौके पर रास्ता है इसलिये दूसरा रास्ता नहीं दिलाया जा सकता।

मूलतः यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.12.2022 को धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता रिकार्ड में कायम किये जाने हेतु पेश किया गया था। तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट ली गई।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75, नक्शा ट्रेस पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई।
पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

(1) आराजी हाल खसरा नम्बरान 17, 116 वाके ग्राम करनीकोट, तहसील मुण्डावर में स्थित है, जिस आराजी में प्रार्थी संख्या 01 का 3/32 भाग व प्रार्थी संख्या 02 का 3/32 भाग कब्जेकाश्त एवं खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी में आने–जाने के लिए खसरा नं0 132 में से रास्ता कदीमी चालू है, जिस बाबत् मौके पर कोई विवाद नही है। लेकिन यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में, नक्शें में दर्ज नही है। खसरा नं0 17, 116 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है।

(2) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 06.12.2022 को प्रार्थी द्वारा पेश प्रकरण संख्या 77/22 पर दर्ज होकर प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2026 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को रास्ता दिये जाने के आदेश दिए गए।

प्रार्थी काश्तकार, कृषक है, प्रार्थी खसरा नम्बर 17,116 में कृषि करता है अन्य उपयोग नही हो रहा है। कृषक के लिए उसकी खातेदारी भूमि आजिविका का मुख्य आधार है। खेती के लिए रास्ता कृषक की आत्यान्तिक आवश्यकता है। न्यायालय का यह सम्यक समाधान है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि प्रार्थी की रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को चाहा गया रास्ता दिया जाना न्यायोचित पाता है।

रास्ता :– प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 17 के दक्षिणी–पश्चिम कोने से खसरा नम्बर 140 सार्वजनिक आम रास्ते/सडक तक दूरी करीब 370 फिट है। व्यवहारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण रास्ते 14 मीटर के प्रचलित है। राजस्व रिकार्ड में रकबा फीट या गज में दर्ज नहीं किए जाने के निर्देश है। मैट्रिक प्रणाली में ही दो दशमलव तक रकबा दर्ज किए जाने के निर्देश है। इससे भिन्न रूप में रकबे का नामान्तरकरण रिकार्ड में दर्ज योग्य नही है। रास्ते का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अमल की दृष्टि से राउण्ड फिगर अर्थात हैक्टेयर के दो डेसिमल तक ही रखा जाने योग्य है। खसरा नम्बर 132 में से 370 मीटर लम्बा व 14 मीटर चौडा, भूमि रास्ता के रूप में दिया जाना है। मौके पर संबंधित खसरो की लम्बाई निश्चित है। अतः रास्ते के रूप में दिये जाने वाले रकबे में खसरे की लम्बाई का भाग देकर रास्ते की चौड़ाई निर्धारित की जावे अर्थात रास्ते में दिए गए रकबे में लम्बाई के आनुपातिक चौडाई तय किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

क्षतिपूर्ति :– क्षतिपूर्ति के बिन्दुओं पर सुना गया। पक्षकारान में सहमति नहीं बनी। अतः नियमानुसार निर्धारित दर के निर्धारित डी0 एल0 सी0 के दो गुणा के अनुसार प्रतिकार का भुगतान किया जाना उचित है। डी.एल.सी. दर की गणना कर राशी राजकोष में जमा करावें।

राज्य सरकार ने प्रचलित रास्तो को रिकार्ड में दर्ज करने के सम्बन्ध में वर्तमान में अभियान चला रखा है जिसके सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये है। प्रकरण उक्त परिपत्र की सीमा में भी आता है जिसके तहत स्वतः ही प्रचलित कदीमी आम रास्ते रिकार्ड में दर्ज किये जाने योग्य है। न्यायालय उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर स्थित अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 132 मे से पश्चिम दिशा के सहारे–सहारे 370 फिट लम्बाई व चौडाई 14 फिट के समानुपाति चौड़ाई में, प्रार्थी को खसरा नम्बर 17 के दक्षिण पश्चिमी कोने तक आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में " गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज की जावे। रास्ते को परिशिष्ट–अ में A से B तक दिखाया गया है। परिशिष्ट–अ निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रास्ते में गये रकबे की डीएलसी के मुआवजे की गणना कर राशी राजकोष में जमा कराई जावे। तहसीलदार मुण्डावर प्रतिकार का भुगतान अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार करावे। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाए गए उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। राजकोष में राशी जमा होने पर तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह/पत्थरगढी कायम कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कराया जावे। यह रास्ता समस्त प्रकार के ऋण, भार, प्रभार से मुक्त होगा। पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक **13.05.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

13/5/16
पंचायती [illegible] पटवार [illegible]
[illegible]
[illegible] पंचायती [illegible]
[illegible] पंचायती [illegible]
[illegible] पंचायती [illegible]
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर ([illegible]-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner